[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2016

अधिसूचना

का0आ0 4060(अ)-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) यथास्थिति, ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन हस्त रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल की गई घोषणा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ii) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, या आय-कर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु को वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन अंकीय चिहनक सहित इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल की गई घोषणा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त के रूप में अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं0 117/2016, फा0सं0 142/33/2016-टीपीएल]

(डा0 टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार